झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 3296 वर्ष 2011

जितेंद्र कुमार प्रसाद ... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. उप सचिव, लोक निर्माण विभाग, झारखंड, राँची, उनके कार्यालय, परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर + थाना–धुर्वा, जिला–राँची

3. उपायुक्त, राँची .... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री डी0सी0 मिश्रा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए: श्री अश्विनी भूषण, वरिष्ठ एस0सी0–III के ए0सी0

03 / 02.08.2021 वी0सी0 के माध्यम से सुना।

2. इस समादेश याचिका को याचिकाकर्त्ता के द्वारा दायर किया गया है कि उसे अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाय, अर्थात्, अशोक कुमार प्रसाद, जो पी0डब्ल्यू0डी0, परियोजना भवन, धुर्वा में सहायक के रूप में काम कर रहे थे और जिनका दिनांक 28.05.2003 से पता नहीं चल रहा था।

3. श्री डी0सी0 मिश्रा, याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि मामला लंबे अंतराल के बाद सूचीबद्ध किया गया है और वह अपने मुवक्किल के संपर्क में नहीं हैं

जैसे, इस मामले को याचिकाकर्त्ता को संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता देकर निपटाया जा सकता है, यदि ऐसी सलाह दी जाती है।

4. श्री अश्विनी भूषण, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

5. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के पूर्वोक्त प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, इस रिट आवेदन को याचिकाकर्त्ता को प्रतिवादी संख्या 3 से आज से दस सप्ताह की अवधि के अन्दर, संपर्क करने की स्वतंत्रता देकर निपटाया जाता है, यदि सलाह दी जाय। यदि ऐसा कोई प्रतिनिधित्व पूर्वोक्त निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया जाता है तो उसे कानून के अनुसार माना जाएगा।

6. पूर्वोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट आवेदन का निपटान किया जाता है।

(दीपक रोशन, न्याया0)